

कार्यालय केन्द्रीय नजारात, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलागी सूचना

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिष्ठान के निष्प्रयोज्य फर्नीचर एवं अन्य विविध प्रकार के उपकरणों की सार्वजनिक नीलागी, नीलागी समिति की उपस्थिति में वस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में दिनांक-25.02.2022 को सायं 03.00 बजे की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय एवं निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर बोली बोल सकते हैं। नीलागी की शर्तें निम्नवत है :-

- 1- निष्प्रयोज्य फर्नीचरों एवं अन्य विविध प्रकार के उपकरणों की नीलागी जहाँ भी है तथा जिस स्थित में है की जायेगी।
- 2- किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य निष्प्रयोज्य फर्नीचरों एवं अन्य विविध प्रकार के उपकरणों का निरीक्षण किया जा सकता है।
- 3- प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4- सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय, गाजीपुर को किसी भी उच्च बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 5- बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व रु० 2500/- की नकद धनराशि बतौर जमानत जमा करनी होगी।
- 6- नीलागी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलागी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।
- 7- नीलागी के उपरान्त निष्प्रयोज्य फर्नीचरों एवं अन्य विविध उपकरणों को स्वयं के खर्च से ले जाना होगा।
- 8- अन्य कोई भी शर्त नीलागी से पूर्व समिति द्वारा घोषित की जा सकती है, जिसे मानना प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होगा।

दिनांक-11.02.2022

(गुलाब सिंह-11)

प्रभारी अधिकारी, नजारात/
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

Sam
11.2.22